न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प लाखोला

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. किशन लाल पिता छोगा ढोली निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2. नानू पिता छोगा ढोली निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. चम्पा लाल पिता मोजीराम जाट निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2. किशनलाल पिता छोगा जाट निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
3. रतनलाल पिता छोगा जाट निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
4. मांगीलाल पिता नारू शर्मा निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
5. शंकर लाल पिता प्रताप भील निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
6. भेरू लाल पिता भूरा गाडरी निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
7. मोहन पिता दयाराम गाडरी निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
8. लेहरू पिता काना गाडरी निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
9. नानू पिता हजारी गाडरी निवासी गुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः–12.06.2018

:: **आदेश** ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गुढ़ा पटवार क्षेत्र भरक तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 तक की खाता संख्या 22 पर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.13 है0, 1009 रकबा 0.10 हे0, 1109 रकबा 0.92 हे0, 1111 रकबा 0.13 हे0, 1112 रकबा 0.11 हे0, 1113 रकबा 0.30 हे0, 1114 रकबा 0.55 हे0, 1115 रकबा 0.68 हे0, 1116 रकबा 0.10 हे0, 1117 रकबा 0.03 हे., 1118 रकबा 0.41 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.46 हे0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। जिनमें से विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गुढ़ा पटवार क्षेत्र भरक तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 तक की खाता संख्या 22 पर स्थित आराजीयात खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.13 है0, 1009 रकबा 0.10 हे0, 1109 रकबा 0.92 हे0, 1111 रकबा 0.13 हे0, 1112 रकबा 0.11 हे0, 1113 रकबा 0.30 हे0, 1114 रकबा 0.55 हे0, 1115 रकबा 0.68 हे0, 1116 रकबा 0.10 हे0, 1117 रकबा 0.03 हे., 1118 रकबा 0.41 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.46 हे0 भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1050/– (एक हजार पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1050/– (एक हजार पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प लाखोला में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला-भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा